दुकानों पर बिक रही खाद्य सामग्री पर पैकिंग की तारीख न एक्सपायरी डेट

अफसर भी नहीं करते कार्रवाई, जनता भी अंजान

गाडरवारा, देशबन्धु। शहर सहित ग्रामीण अंचल में अमानक और मिस ब्रांडेड खाद्य सामाग्री बेची जा रही है। पैक बंद कई ऐसे उत्पाद हैं जिस पर न तो कंपनी का नाम है और न ही एक्सपायरी डेट लिखी हुई है। बिना नियम कानून के गली गूंचों से लेकर मुख्य बाजार तक पर बेची जा रही खाद्य सामाग्री जानलेवा साबित हो सकती है। जबकि खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के मैदानी अमले द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किए जाने से यह सामग्री धड़ल्ले से बिक रही है।

शहर से लेकर नगर में कई छोटे-बड़े दुकानदार विभिन्न प्रकार के खाद्य सामाग्री बेच रहे हैं। इन पैकिंग खाद्य सामग्रियों पर न तो पैकिंग डेट है और न ही इन पर एक्सपायरी अंकित है। खास बात यह है कि स्नैक्स बनाने वाले व्यापारी जो पैक बंद सामान बच्चों के लिए तैयार करते हैं। जगह-जगह होटलों एवं किराना दुकानों पर साधारण पॉलीथिन में नमकीन के पैकेट बिक रहे है। पैकेट पर न मेन्यूफेक्चरिंग ओर न ही एक्सपायरी डेट अंकित है।

जब विक्रेताओं से उक्त सामग्री बनाने वाली कंपनी और उसकी निर्माण की डेट पूछी जाती है तो दुकानदार का कहना था कि फेरी वालों से लेते है। लंबे समय से ग्रामीण अंचल में ब्रेड, टोस्ट, लड्?डू, नमकीन और डिब्बे में बंद ऐसे कई उत्पाद बेचे जा रहे हैं जो कि जानलेवा साबित हो सकते हैं। शहर की दुकान पर रखी खाद्य सामाग्री, जिनमें अधिकांश पर पैकिंग और एक्सपायरी डेट अंकित नहीं है।

बिना बैच नंबर का सामान कम लागत में मुनाफे का धंधा - दुकानों पर बिक रहा बिना बैच नंबर और एक्सपायरी का सामान कम लागत में मुनाफे का धंधा है। इस नमकीन के पैकेट कंपनी या फेरी वालों से खरीदने पर दुकानदारों को कम लागत में ही दोगुना मुनाफा हो जाता है। बिना ब्रांड के नमकीन के पैकेट 50 से 70 रुपए में उपलब्ध हो जाते हैं जिसे दुकानदार 150 से 180 रुपए तक बेचकर कम लागत में मुनाफे का धंधा कर रहे हैं। साथ ही इससे लोगों की सेहत से भी खिलवाड़ किया जा रहा है।

मसाला नमकीन के पैकेट पर नहीं मिली कोई तारीख - अचंल भर में बिक रहे मसाला नमकीन के पैकेट पर कोई तारीख नहीं लिखी रहती है। साथ ही इस पर किसी भी तरह का बैच नंबर और एक्सपायरी डेट भी नहीं है। जबकि खाद्य एवं औषधि विभाग के मानक के अनुरूप इन पर बैच नंबर, मैन्युफेक्चिरिंग डेट और एक्सपायरी के साथ प्राइस लिखना आवश्यक होता है। लेकिन इस पर एमआरपी भी धुंधली दिखाई देती है। जिसे बाजार में औने-पौने दामों पर बेचा जा रहा है। वहीं सफर में लोगों की प्यास बुझाने वाले पानी के पाउच जिले में अमानक तौर पर बेचे जा रहे हैं।

उन पर न तो बनाने की तारीख लिखी होती है और न ही एक्सपायरी डेट। इसके अलावा मिनरल वाटर के नाम भी पानी के पाउच विक्रेता सादा पानी ही लोगों को बेच रहे हैं, जिससे सेहत को खतरा है । उधर प्रशासन द्वारा भी इन कारोबारियों की सुध नहीं ली जा रही, जिससे उनके हौसले बुलंद हैं ।

सजा व जुर्माने का है प्रावधान - यदि कोई भी व्यक्ति या कंपनी बिना बैच नंबर और मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट के सामान बेच र हा है तो उस पर कार्रवाई का प्रावधान बनाया गया है। पैकिंग किए हुए सामान पर मानकों को अंकित नहीं करने पर दुकानदार से लेकर कंपनी के संचालक पर तक कार्रवाई का प्रावधान होता है। जिसमें कंपनी और दुकानदार को तीन से पांच लाख रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है।

लोक अदालत में प्रकरणों का हुआ निराकरण

नरसिंहपुर, देशबन्धु। राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन में जिला न्यायालय परिसर में भारतीय स्टेट बैंक की मुख्य शाखा नरसिंहपुर, कृषि शाखा नरसिंहपुर, मंडी रोड नरसिंहपुर के साथ करेली और सुआतला की शाखाएं भी सम्मिलित हुई ।

जिसमें कालातीत खातों एवं एनपीए खातों को समझौते के माध्यम से निराकरण किया गया। इसमें हमारे क्षेत्रीय कार्यालय से क्षेत्रीय प्रबंधक आलोक बनर्जी, मुख्य शाखा के मुख्य प्रबंधक मुख्य शुभम श्रीवास्तव, कृषि शाखा के प्रबंधक विनोद सिंह, मंडी रोड शाखा के प्रबंधक अंकित चौधरी के साथ शाखाओं के क्षेत्राधिकार उपस्थित रहे।

सार-समाचार

रेलवे प्लेटफार्म पर महिला ने दिया बच्चे को जन्म

गाडरवारा, देशबन्धु। रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर दो पर महाराष्ट की रहने वाली महिला ने बच्चे को जन्म दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार शुक्रवार की रात्रि में तूमड़ा गन्ना फैक्ट्री में लेबर का कार्य करने वाले महाराष्ट निवासी योगेश पवारे अपनी पत्नि रुपाली को लेकर महाराष्ट्र के चालीसगांव जा रहे थे । रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर 2 पर उनकी पत्नि को प्रसव पीड़ा हुई और स्टेशन पर ही उक्त महिला ने बच्चे को जन्म दे दिया । सूचना मिलते ही डायल 100 के पायलट राजेश कौरव , आरक्षक दीपक राजपूत रेलवे स्टेशन पहुंचे और प्लेटफार्म से आरक्षक नेहा पटेल की निगरानी में महिला व बच्चे को शासकीय चिकित्सालय लाकर भर्ती कराया गया। अस्पताल में महिला डॉक्टर ने परीक्षण किया जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ हैं और भर्ती कर दोनों की देखभाल की जा रही है ।

नाबालिग पुत्री के साथ दुष्कर्म करने वाले पिता को आजीवन कारावास

नरसिंहपुर, देशबन्धु । न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश डॉ श्रीमती अंजली पारे के न्यायालय द्वारा नाबालिग पुत्री के साथ दुष्कर्म करने वाले पिता को दोषसिद्ध पाते हुए धारा- 5(एन)/6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 में आजीवन कारावास (शेष प्राकृत जीवनकाल के लिए) एवं 5000/- जुर्माना तथा धारा 5(आई)/6 व धारा 5(एम)/6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 में क्रमश:20-20 वर्ष का सश्रम कारावास व -5000/- 5000/- का जुर्माना तथा भादवि की धारा 506 (भाग-दो) में 03 वर्ष सश्रम कारावास एवं 1000/- जुर्माना से दंडित किया गया। जिला अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी ने बताया कि पीडित बालिका ने आरक्षी केंद्र गाडरवारा में 6.6.2024 को शिकायत की थी कि करीब दो माह पूर्व अप्रैल में रात्रि करीब 9 बजे पीडित बालिका और उसका भाई खाना खाकर सो गए थे।

आरोपी ने उसका मुंह बंद करके जबरदस्ती उसके साथ में बलात्कार किया था। बालिका ने यह भी बताया की आरोपी ने इसके पूर्व कई बार पीडित बालिका के साथ में जबरदस्ती गलत काम किया था। पीडित बालिका की मां का देहांत हो चुका है वह तथा उसका छोटा भाई अपने पिता के साथ रहती है तथा उसकी सौतेली बहिनों की शादी हो चुकी है। पिता द्वारा गलत काम करने के संबंध में पीडित बालिका ने अपनी सौतेली बडी बहन और अन्य लोगो को बताने का कहने पर आरोपी उसके साथ मारपीट करता था और जान से मारने और घर से भगाने की धमकी देता था।

दिनांक 5.6.2024 को भी रात्रि करीब 9 बजे पीडित बालिका के पिता ने उसके साथ जबरदस्ती गलत काम (बलात्कार) किया है जिस संबंध में उसने अपनी सौतेली बडी बहन को बताया था उनके साथ रिपोर्ट लेख कराने गई। रिपोर्ट के आधार पर आरोपी के विरूद्ध आरक्षी केन्द्र गाडरवारा में अपराध क्रमांक 589/2024 पर संहिता की धारा, 376, 376एबी, 376(2)(एन), 376(2)(च), 323, 506 एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 5(एम), 5(आई), 5(एन), 6 कायम कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की जाकर प्रकरण विवेचना में लिया गया। अनुसंधान के आगामी प्रकरण पर पीडित बालिका एवं अन्य साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये गये, आरोपी को गिरफ्तार किया गया तथा अन्य आवश्यक अन्वेषण एवं कार्यवाही उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

महिलाओं का आत्मनिर्भर होना जरूरी

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया

नरसिंहपुर, देशबन्धु। जन शिक्षण संस्थान नरसिंहपुर द्वारा संस्थान कार्यालय में अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया।

कार्यक्रम में समाज सेविका श्रीमती उजाला नारोलिया मुख्य अतिथि, श्रीमती सुमन राजपूत श्रीमती गोदावरी कुशवाहा विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रही कार्यक्रम की अध्यक्षता संस्थान निदेशक आशीष कुमार सेन ने की। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती का पूजन, दीप प्रज्वलन व अतिथि स्वागत के साथ हुआ।

संस्थान निदेशक आशीष कुमार सेन ने उपस्थित सभी नारी शक्ति को महिला दिवस की शुभकामनाएं दी और देश की विभिन्न सफल महिलाओं के प्रेरक प्रसंगों को बताया खासतौर पर देश की राष्ट्रपति के जीवन के अनेक प्रसंगों से प्रेरणा लेने की बात कही।

समाज सेवी उजाला नारोलिया ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 2025 इस साल वुमन डे की थीम पर रखी गई है जिसका मतलब होता है कार्रवाई में तेजी। यानी कि महिलाओं के अधिकारों को बढ़ावा देने और जागरुकता पैदा करने को लेकर अब कार्य की गति तेज करने की जरूरत है।

इस अवसर पर संस्थान के प्रशिक्षणार्थी महिलाओं व छात्राओं ने महिला हिंसा व दहेज कुप्रथा के लिए जागरूकता के लिए नाटिका प्रस्तुत की जिसकी सभी ने सराहना की। देहज कुप्रथा नाटक में रिया वंशकार, ज्योुति सेन, अर्चना सेन, शिवानी ठाकुर, कुनिका नौरिया, सलोमी दास, मोक्षा नेमा एवं सरिता सेन ने प्रस्तुती दी।

कार्यक्रम का संचालन कार्यक्रम अधिकारी सुमित दुबे ने व आभार सहायक कार्यक्रम अधिकारी पूनम पाली ने किया। इस अवसर पर संस्थाान के अधिकारी रोशन पटेल, मुकेश भारिया, अंजली ठाकुर एवं अनुदेशक मोक्षा नेमा,आरती जाटव उपस्थित रहे।

महिलाएं संस्कृति की मूल आधार : मुकेश

गाडरवारा, देशबन्धु। नगर के वरिष्ठ समाजसेवी मुकेश बसेड़िया ने अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस की पूर्व सन्ध्या पर कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक कार्यालय से नारी शक्ति के सम्मान का शुभारंभ कर विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट व सेवा कार्य करने वाली मातृ शक्तियो का सम्मान कार्यस्थल पर जाकर किया।

जिसमे प्रशासनिक स्तर पर तनुश्री बसेड़िया ने कलेक्टर आई ए एस श्रीमति शीतला पटले का सम्मान किया। पुलिस प्रशासनिक क्षेत्र से पुलिस अधीक्षक आईपीएस मृगाखी डेका , अपर कलेक्टर अंजली शाह, संयुक्त कलेक्टर बंदना जाट, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमति ज्योति नीलेश काकोडिया, धार्मिक क्षेत्र से प्रोफेसर डॉ स्वाति चाँदोरकर, जनकल्याण के कार्यो के लिए सर्व ब्राह्मण महिला एकता परिषद की जिला अध्यक्ष विवेक पांडेय को विशिष्ट प्रतीक चिन्ह, मेडल ,कलम डायरी,के साथ अबला वन रही सबला नामक पुस्तक प्रदान कर कार्यस्थल पर सम्मानित किया।

इसी क्रम में महिला दिवस पर गाडरवारा में प्रशासनिक क्षेत्र से एसडीएम कलावती बैठे बयारे, तहसीलदार प्रियंका नेताम, राजनीतिक क्षेत्र से पूर्व विधायक साधना स्थापक, पूर्व विधायक सुनीता पटेल, जिला पंचायत सदस्य ऋचा स्थापक, अंजू शुक्ला शिक्षा जगत से आरती पाठक, चिकित्सा क्षेत्र से डॉ आशा फणसलकर, समाजसेवा में डॉ प्रतिभा देवपुरिया नांदनेर, साहित्य के क्षेत्र में डॉ मंजुला शर्मा आदि महिलाओं का स्वागत भी प्रतीक चिन्ह, मेडल, पुस्तक आदि प्रदान कर किया।

मुकेश बसेड़िया ने उक्ताशय की जानकारी देते हुए कहा कि हमारे शास्त्रों में भी वर्णित है कि जहां नारियों का सम्मान होता है वहा देवताओं का निवास होता है इसी मानस भाव से जिले भर में उत्कृष्ट कार्य करने वाली व सेवाभावी महिलाओं का सम्मान दो दिवसीय आयोजन के तहत उनके कार्यस्थल पर जा जाकर किया। इस अवसर पर तनुश्री बसेड़िया व नवीन पांडे की गरिमामयी उपस्थिति रही।

बीएसएनएल में मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस

नरसिंहपुर, देशबन्धु। बीएसएनएल में नारी शक्तियों को सम्मान देने, उनके कार्यों एवं सहयोग को उचित पहचान देने एवं यूनियन के प्रति उनके समर्पण के लिए आभार प्रकट करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस समारोह का आयोजन किया गया। बीएस रघुवंशी परिमंडल सचिव द्वारा सीएचक्यू के बुलेटिन में दिये गये बिंदुओं को अपने सम्बोधन में शामिल किया गया।

महिला शक्तियों में से कामरेड किरण ठाकुर ने विचार व्यक्त किए। एजीएम पियूष सोनी, डब्लू डब्लू सी सी मध्यप्रदेश की सदस्य कामरेड यशोदा सोनी ,महिला कामरेड ममता विश्वकर्मा, द्वारा अपनी बात रखी। साथ ही नरसिंहपुर जिले का डब्लू डब्लू सी सी गठन किया गया है।

जिसमें जिला संयोजक किरण ठाकुर, सदस्य ममता विश्वकर्मा , यशोदा सोनी, कामिनी राजपूत संगीता चौबे, प्रियंका शर्मा, देवेन्द्र चंदेल शामिल हैं। जिला सचिव बीएसएनएल एम्पलाईज यूनियन नरसिंहपुर जिला अध्यक्ष प्रहलाद पटैल ने आभार व मंच संचालन जिलासचिव देवेन्द्र चंदेल ने किया।

सम्मान, अधिकार और न्याय में विलंब मंजूर नहीं : स्वाति

नरसिंहपुर, देशबन्धु। अबला नारी की छवि आज सबला में परिवर्तित हो चुकी है। यह युद्ध शुरू हुए आज 100 से अधिक वर्ष हो गए है। 1909 में अमेरिका की सोशलिस्ट पार्टी की घोषणा के अनुसार पहला राष्ट्रीय महिला दिवस 28 फरवरी 1909 में मनाया गया। 1913 तक यह महिला दिवस फरवरी के अखिरी रविवार को मनाया जाता था। 1910 में कोपनहेगन में कामकाजी महिलाओं के द्वारा दूसरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। उसमें क्लारा जेटकिन, जर्मनी की एक महिला नेत्री ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का विचार रखा जिसे 17 देशों की 100 से अधिक महिलाओं ने सर्वसम्मति से स्वीकार किया। इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सामने आया।

1911 में डेनमार्क के कोपनहेगन में भेदभाव को समाप्त करने और वोट के अधिकार के लिए 10 लाख से अधिक महिलाओं ने रैलियां निकाली। इसमें बढ चढ कर पुरूष भी सम्मलित हुए थे। 1913-14 में प्रथम विश्व युद्ध की पूर्व संध्या पर शांति के लिए 23 फरवरी को पहला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। यह ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार था। इसी का अनुवाद करते हुए 8 मार्च का दिन महिलाओं को समर्पित करने का निर्णय लिया गया। युनाइटेट किंगडम, लंदन में 08 मार्च 1914 को महिलाओं ने मताधिकार के लिए एक मार्च निकाला। आगे चलकर 1917 में प्रथम विश्व युद्ध में 02 मिलियन से अधिक रूसी सैनिकों की मौत के विरोध में रोटी और शांति के लिए महिलाओं ने हडताल की।

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस विशेष

1975 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा पहली बार यह दिवस मनाया गया। 1996 से इस दिवस पर विशेष थीम का प्रचलन शुरू हुआ। जैसे 1997 में शांति मंच पर महिलाएं, 1998 में महिला और मानव अधिकार, 1999 हिंसा मुक्त विश्व तो 2022 में आई डेयर टू, और 2023 में मी टू, या 2024 में युनाइट एंड फाईट फॉर कैंसर, जैसी अनेक समायिक समस्याओं पर आधारित थीम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रखी गई।

आशर्चयजनक है कि सन 2000, नई शहस्त्राब्दी आते-आते नारीवाद एक लोकप्रिय विषय बना और यह मान्यता हो गई कि महिला अब काफी आगे बढ चुकी है। इस दिवस की गतिविधियां अचानक कम हो गई। परस्थिति को समझते हुए सन 2001 में इसे और अधिक गति प्रदान करने पर जोर दिया गया। विभिन्न समुहों, चैरिटी संस्थाओं और अन्य सामाजिक संगठनों को जोडने का भरसक प्रयास किया गया। प्लेटफॉर्म भी शुरू किया गया। तब से प्रत्येक वर्ष एक विशिष्ट थीम सामायिक विषयों पर केन्द्रित करने का निर्णय लिया गया। जिससे दुनिया भर में एक सम-रूपरेखा और दिशा प्रदान हो सके। यह थीम अनेक अध्ययन और विभिन्न हितधारकों के साथ मिलकर विकसित की जाती है।

2011 में 100 वीं वर्षगांठ मनाई गई। राष्टपति बराक ओबामा ने मार्च 2011 को महिला इतिहास माह घोषित किया। इसमें महिलाओं की असाधारण उपलब्धियों पर विचार किया एवं उन्हे प्रोत्साहित भी किया गय। समय चलते-चलते अब यह दिवस मुख्यधारा और समावेशी बनने लगा, जिसमे हर जगह के समूह भाग ले रहे है।

आज कल की युवा पीढी को लगता है कि महिलाओं ने अभी अपनी सारी लडाईयां जीत ली है। लेकिन अभी हाल पूना में हुए हादसे ने हम सब को झंझोडकर रख दिया है। दुर्भाग्यपूर्ण तथ्य है कि महिलाओं को अभी भी वह हासिल नही हो सका जिसकी वह हकदार है। पितृसत्ता के वजन तले आज भी वह दबी है। तो व्यापार या राजनीति में आज भी वह समान संख्या में मौजूद नही है।

वैश्विक स्तर पर महिलाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य और हिंसा के राक्षसो से उसे आज भी लडना पडता है। इसलिए 2025 की थीम हम सब को अच्छे से समझने की जरूरत है। 2025, बीजिंग घोषणा पत्र और कार्यवाही के लिए मंच की तीसवीं वर्षगांठ है जो 1995 में 189 सरकारों द्वारा दुनिया भर में महिलाओं के अधिकारों को बढवा देने के लिए एक ऐतिहासिक एजेंडा था। 2025 की थीम पर रखी गई है। इस थीम का मुख्य उद्देश्य महिलाओं की हितों की दिशा में गति या तेजी प्रदान करना है।

अब समय आ गया है कि सम्मान, अधिकार और न्याय दिलाने में अब विलंब हमें मंजूर नही है। तो आईए आज के अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सब साथ मिलकर, एक जूट होकर नारी को उसके हिस्से का प्यार, आदर और सम्मान देकर नए विश्व की परिकल्पना को साकार करें। अपने-अपेन क्लबों, सस्थाओं या संगठनों में बंधकर नही चलेगा। एक स्थान, एक जगह पर एक रूपेण शक्ति बनकर उभरना ही आज की जरूरत है।

डॉ. स्वाती चांदोरकर
विभागाध्यक्ष, प्रोफेसर अंग्रेजी पीजी कॉलेज नरसिंहपुर एवं संचालक सेतु संस्था नरसिंहपुर

महाविद्यालय में महिला दिवस पर कार्यक्रम

नरसिंहपुर, देशबन्धु । शासकीय महिला महाविद्यालय में द्वितीय दिवस के कार्यक्रम में विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों में उच्च पद पर आसीन महिलाओं को आमंत्रित किया गया। जिसमें स्वास्थ्य के क्षेत्र में डॉ प्रीति सिंघई, कानूनी क्षेत्र में रूपा श्रीवास्तव, स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में भारती ठाकुर, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में नीति नेमा और कार्यक्रम अध्यक्ष के रूप में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में महाविद्यालय प्राचार्य कृष्णा शर्मा मंचासीन रही। उन्होंने अपने वक्तव्य में छात्राओं को अधिकतम संख्या में रोजगार स्वरोजगार प्राप्त कर आत्मनिर्भर बनने हेतु प्रेरित किया। मुख्य अतिथि डॉ प्रीति सिंघई ने छात्रों को सशक्त बनाने के लिए शिक्षा पर विशेष बल दिया साथ ही स्वस्थ शरीर ही स्वस्थ जीवन का आधार है अत: किशोरी स्वास्थ्य विषय पर छात्रों को जागरूक किया।

विशिष्ट अतिथि रूपा श्रीवास्तव ने अपने वक्तव्य में महिला कानूनी संबंधी जानकारी प्रदान की और महिलाओं के खिलाफ होने वाली हिंसा एवं अत्याचारों के खिलाफ स्वयं आत्मनिर्भर बनने हेतु प्रेरित किया । स्कूली शिक्षा क्षेत्र अंतर्गत भारती ठाकुर ने सभी को महिला सशक्तिकरण पर बधाई दी। परमहंस कॉलेज की संचालक नीति नेमा ने छात्राओं से कहा कि वह स्वयं प्रयास करें और अपने आप को सशक्त बनाएं।

मार्केट वॉच गाडरवारा

क्लासिफाईड विज्ञापन के लिए अनिल गुप्ता गाडरवारा से संपर्क करें। मोबाईल - 9424328221

सोसायटी फॉर अवेयरनेस एण्ड रूरल एडवांसमेंट, संबद्ध अध्ययन केन्द्र
अटल बिहारी वाजपेयी हिन्दी विश्वविद्यालय, भोपाल
Sara Group of Institutions

पत्रोपाधि पाठ्यक्रम
- प्राथमिक चिकित्सा उपचार
- आधारभूत स्वास्थ्य संरक्षण
- योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा
- फैशन डिजायनिंग
- संगणक अनुप्रयोग डीसीए

प्रवेश प्रारंभ
एसआर एन्क्लेव, जमाड़ा रोड, महाराणा प्रताप वार्ड, गाडरवारा
जिला-नरसिंहपुर, फोन-8989167883

स्नातकोत्तर पत्रोपाधि पाठ्यक्रम
- आधारभूत स्वास्थ्य संरक्षण
- आहार एवं जनस्वास्थ्य पोषण
- सायबर कानून
- जर्नलिज्म एवं मास कम्यूनिकेशन
- संगणक अनुप्रयोग पीजीडीसीए